झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

आदेश

आ०सं०–04 / आ०–03–1003 / 2023– 52 राँची, दिनांक– 6/3/23

WP(S) No- 2089/2022 बिनोद दास बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायलय, राँची द्वारा दिनांक–15.12.2022 को पारित न्यायदेश के अनुपालन में मामले की जाँच हेतु अपर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में एक तीन–सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया। जाँच समिति द्वारा विभाग को समर्पित किये गये जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री निर्मल भगत, कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रशाखा–झुमरीतिलैया को विभागीय पत्रांक–5227 दिनांक–30.12.2022 के द्वारा कारण पृच्छा की गई। श्री भगत द्वारा अपने पत्रांक–शून्य दिनांक–09.01.2023 के माध्यम से विभाग को अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया ।

2. श्री भगत से प्राप्त स्पष्टीकरण सहित सम्पूर्ण मामले के समीक्षोपरान्त विभाग द्वारा पाया गया कि श्री भगत द्वारा बिना छान–बीन किये कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमण्डल, हजारीबाग को गलत सूचित किया गया कि श्री बिनोद दास VWSC के अधीन कार्यरत हैं, जो कालान्तर में गलत पाया गया। श्री भगत के गलत प्रतिवेदन के कारण मामले में जटिलता उत्पन्न हुई तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विभाग को असहज/अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा। उक्त के आलोक में श्री भगत का स्पष्टीकरण स्वीकारयोग्य नहीं पाते हुए उनके विरूद्ध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये आरोप हेतु आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है।

3. उपरोक्त लिये गये निर्णय के क्रम में श्री निर्मल भगत, कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रशाखा–झुमरीतिलैया के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है।

4. विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु श्री राजेश कुमार, अवर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को जाँच संचालन पदाधिकारी तथा विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री देबाशीष सिन्हा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है।

5. जाँच संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही सम्पन्न कर अधिकतम 105 दिनों (तीन माह पन्द्रह दिनों) में जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।

6. आरोपित पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे 15 (पन्द्रह) दिनों में अपना लिखित बचाव–बयान जाँच संचालन पदाधिकारी को समर्पित करेंगे तथा उनके निर्देश पर उनके द्वारा निर्धारित तिथि को उनके समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन में हर अपेक्षित सहयोग करेंगे।

06/03/2023

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\SEC 4\Desktop\Rishav 2019\Debashis Sir\Order\4 aa 03 1003 2023-.docx

ज्ञापांक–04/आ०–03–1003/2023– 1463 राँची, दिनांक– 6/3/23

प्रतिलिपिः–संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/03/2023

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–04/आ०–03–1003/2023– 1463 राँची, दिनांक– 6/3/23

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख कोषांग/सभी अपर सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी संयुक्त सचिव/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित)/उप सचिव/सभी अवर सचिव (प्रशाखा–3 सहित) /सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/03/2023

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–04/आ०–03–1003/2023– 1463 राँची, दिनांक– 6/3/23

प्रतिलिपिः–श्री राजेश कुमार, अवर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची –सह–जाँच संचालन पदाधिकारी तथा श्री देबाशीष सिन्हा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची –सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0ः–यथोपरि।

06/03/2023

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–04/आ०–03–1003/2023– 1463 राँची, दिनांक– 6/3/23

प्रतिलिपिः–श्री निर्मल भगत, कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रशाखा–झुमरीतिलैया को आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0ः–यथोपरि।

06/03/2023

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–04/आ०–03–1003/2023– 1463 राँची, दिनांक– 6/3/23

प्रतिलिपिः– श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक (IT,PMU), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखण्ड, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/03/2023

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव।